

12 NOV 2011

जयपुर, दिनांक : 4-11-11

कमांक:प.9(15)राज./गुप-1/09/पार्ट

अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम-15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला नागौर की तहसील डीडवाना के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजदूरों/ढाणियों को एतदपरचात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गाँव की कुल देह में से कम होकर कालग संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हेक्टर में)	दूरी कि०मी में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
			जन संख्या	क्षेत्रफल	जन संख्या	क्षेत्रफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नागौर / डीडवाना	डाकीपुरा	1211	837.97	गोमथलिथा	446	191.52	2	646.45
2	नागौर / डीडवाना	जेतपुरा	811	611.21	तेजारसर	329	234.02	3	377.19

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, नागौर को अधिकृत किया जाकर जिला कलेक्टर विभागीय परिपत्र कमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

524
16.11.11

107/11

जिले के प्राप्त दस्तावेजों के लिये